



The Vesting of Bettiah Raj Properties Act, 2024

Act No. 23 of 2024

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

20 अग्रहायण 1946 (श0)

(सं0 पटना 1189) पटना, बुधवार, 11 दिसम्बर 2024

विधि विभाग

अधिसूचना

11 दिसम्बर 2024

सं० एल०जी०-01-22/2024-7937/लेज।—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर माननीय राज्यपाल दिनांक 10 दिसम्बर 2024 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा,
सरकार के संयुक्त सचिव।

[बिहार अधिनियम 23, 2024]

बेतिया राज की संपत्तियों को निहित करने वाला अधिनियम, 2024

जबकि, पूर्ववर्ती बेतिया राज बिहार राज्य में स्थित है,
जबकि, अंतिम ज्ञात राजा हरेन्द्र किशोर सिंह की निर्वसीयत मृत्यु हो गई,
जबकि, बेतिया राज के पूर्ववर्ती अंतिम राजा की मृत्यु के बाद, उनकी उत्तरजीवी पत्नी जानकी कुँवर को बेतिया राज की संपत्ति और मामलों का प्रबंधन करने के लिए अक्षम घोषित किया गया था,
जबकि, पूर्ववर्ती सरकार ने दिनांक-01 अप्रैल, 1897 की अधिसूचना द्वारा बेतिया राज का प्रबंधन अपने हाथ में लिया और प्रतिपाल्य अधिकरण अधिनियम (कोर्ट ऑफ वार्ड्स एक्ट), 1879 के अधीन न्यायालयों की अभिरक्षा में रखा,
जबकि, दिनांक-01 अप्रैल 1897 की अधिसूचना के बाद, बिहार राज्य के भीतर बेतिया राज की हुई संपत्तियों और प्रबंधन को प्रतिपाल्य अधिकरण, बिहार राज्य के राजस्व बोर्ड द्वारा अपने कब्जे में ले लिया गया था,
जबकि, उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित बेतिया राज की संपत्तियों को उत्तर प्रदेश राज्य के राजस्व बोर्ड द्वारा प्रबंधित करने का निदेश दिया गया था,
जबकि, उत्तर प्रदेश कोर्ट ऑफ वार्ड्स एक्ट, 1912 को संयुक्त प्रांत कोर्ट ऑफ वार्ड्स (निरसन) अधिनियम, 1967 द्वारा 15 सितम्बर 1969 से निरसित कर दिया गया है,
जबकि, निरसन के परिणामस्वरूप, प्रबंधन आदि सहित कोर्ट ऑफ वार्ड्स के कृत्य उत्तर प्रदेश राज्य के राजस्व बोर्ड में निहित किये गये है,
जबकि, बेतिया राज के अंतिम राजा का कोई ज्ञात विधिक उत्तराधिकारी नहीं है,
जबकि, कई दावेदारों ने अपना दावा रखा है जो अंततः बिहार राज्य एवं अन्य बनाम राधा कृष्ण सिंह एवं अन्य के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा तय किया गया था,
जबकि, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अंतिम निर्णय के बाद, बिहार राज्य और उत्तर प्रदेश राज्य दोनों में कई मुकदमे दायर किए गए हैं, जिनमें से कुछ में विरासत के संबंध में दावा किया गया है,
जबकि, समय के साथ बिहार राज्य और उत्तर प्रदेश राज्य के भीतर स्थित बेतिया राज की संपत्ति कई मुकदमेबाजी, अतिक्रमण, अनाधिकृत कब्जे आदि के अधीन है,
जबकि, बेतिया राज की चल और अचल संपत्ति, बहुत व्यापक है और कई हजार करोड़ रुपये मूल्य की है,
जबकि, यह देखा गया है कि बेतिया राज के प्रबंधक संपत्ति की प्रभावी ढंग से रक्षा करने में सक्षम नहीं है,
जबकि, संपत्ति में बड़े पैमाने पर भूमि और अनुलग्नक शामिल हैं जिनका उपयोग राज्य के बड़े लोकहित के लिए किया जा सकता है,
जबकि, बिहार राज्य और उत्तर प्रदेश राज्य और सत्यापन के अधीन किसी अन्य राज्य में चल और अचल दोनों संपत्तियों की अभिरक्षा, हक, कब्जा और प्रबंधन के लिए एक कानून बनाना समीचीन माना जाता है,
अतः अब भारत गणराज्य के 75वें वर्ष में बिहार राज्य विधान-मंडल एक विधेयक निम्नलिखित रूप में अधिनियमित करता है:-

अध्याय-I
प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:-

- (1) इस अधिनियम को **बेतिया राज की संपत्तियों को निहित करने वाला अधिनियम, 2024** कहा जा सकेगा।
- (2) इसमें बेतिया राज की सभी संपत्तियाँ शामिल हैं।
- (3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन के दिन से लागू होगा।

2. परिभाषाएँ:-इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

- (1) "अधिनियम" से बेतिया राज की संपत्तियों को निहित करने वाला अधिनियम (2024 का अधिनियम 23) अभिप्रेत है;
- (2) "बेतिया राज की संपत्तियाँ" से अभिप्रेत है और इसमें शामिल है बेतिया के पूर्ववर्ती राजा की सभी चल और अचल संपत्तियाँ;
- (3) "राजस्व बोर्ड" से बिहार और उड़ीसा राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1913 द्वारा गठित बोर्ड अभिप्रेत है;
- (4) "समाहर्ता (कलक्टर)" में अधिनियम के तहत सभी या किसी भी कार्य का निर्वहन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा इस रूप में नियुक्त एक पदाधिकारी शामिल है;
- (5) "न्यायालय" से कोर्ट ऑफ वार्ड्स अधिनियम, 1879 की धारा 5 के अधीन गठित प्रतिपाल्य अधिकरण अभिप्रेत है;
- (6) "अधिसूचना" से अधिनियम की धारा 3 के अधीन जारी अधिसूचना अभिप्रेत है;
- (7) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनायी गयी नियमावली द्वारा विहित अभिप्रेत है;
- (8) "लोक मांग" से बिहार और उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम, 1914 (1914 का अधिनियम 4) के अधीन यथापरिभाषित लोक मांग अभिप्रेत है;

- (9) "परिसर" से इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए वास्तविक संपत्ति, भूमि और उस पर सुधार, भवन, भंडार (स्टोर), दुकान, होटल, रेस्तरां या ऐसी अन्य संरचना अभिप्रेत है;
- (10) "विशेष पदाधिकारी" से ऐसा पदाधिकारी अभिप्रेत है जो राज्य सरकार द्वारा उस रूप में नियुक्त अपर समाहर्ता के पद से नीचे का न हो;
- (11) "राज्य सरकार" से बिहार राज्य सरकार अभिप्रेत है;
- (12) "अस्थायी संरचना" से ऐसी कोई संरचना अभिप्रेत है जिसके लिए नींव रखने की आवश्यकता नहीं हो और संरचना के विन्यास को बदलने के लिए बहुत आसान हो, और जिसे इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए पूरी तरह से सीलबंद नहीं किया जा सकता हो।
- (13) "अनाधिकृत अधिभोगी" से बेतिया राज की संपत्तियों के संरक्षक के साथ पट्टे या करार के किसी भी वैध लिखत के बिना संपत्तियों के कब्जे में करनेवाला कोई भी व्यक्ति अभिप्रेत है;
- (14) "निहित होने" से हक और कब्जे का निहित होना अभिप्रेत है। इसमें वहाँ से जाने वाले सभी अनुरूप अधिकार और हित शामिल हैं और इसमें सुविधाधिकार, लेखांश आदि शामिल हैं।

अध्याय-II

बेतिया राज की संपत्तियों का निहित होना।

3. निहित होना।-

- (1) बेतिया राज की बिहार राज्य के अंदर या बाहर स्थित सभी मौजूदा संपत्तियाँ, न्यायालय की जानकारी में और जो न्यायालय द्वारा देखभाल की जा रही हैं, चाहे वह चल या अचल हो, उस तारीख से जिस दिन यह अधिनियम लागू होता है, राज्य सरकार में निहित होगी।
- (2) राज्य सरकार, निहित होने के परिणामस्वरूप, इस आशय की एक अधिसूचना जारी करेगी, जो राजपत्र में प्रकाशित की जाएगी,
परन्तु, राज्य सरकार अधिसूचना में इस प्रकार निहित ऐसी सभी भूमि और संपत्तियों का विवरण देगी।
- (3) एक बार राज्य सरकार के पास निहित संपत्तियाँ किसी भी कानून के तहत किसी भी उत्तराधिकार के अधीन नहीं हो सकती हैं और इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से किसी भी न्यायालय के समक्ष लंबित उत्तराधिकार से संबंधित सभी चल रहे विवाद, मुकदमे या कार्यवाही समाप्त हो जाएंगी।
- (4) प्रतिपाल्य अधिकरण (कोट ऑफ वार्ड्स) निहित होने के परिणामस्वरूप, सभी कागजात, दस्तावेज, रिकॉर्ड, मानचित्र और सभी सुसंगत जानकारी उन जिलों के संबंधित समाहर्ता को सौंपेगा, जहाँ बेतिया राज की संपत्तियाँ स्थित हैं।

4. पट्टों आदि की।-बेतिया राज की भूमि और संपत्तियों पर सभी मौजूदा पट्टे या मौजूदा विशेषाधिकार ऐसी अधिसूचना की तारीख से समाप्त हो जाएंगे।

5. राज्य में निहित होने के परिणाम।-

- (1) इस अधिनियम के अधीन राज्य में निहित सभी बेतिया राज की संपत्तियाँ सभी ऋण भारग्रस्तता से मुक्त होंगी और सिविल कोर्ट की डिक्री या किसी अन्य प्राधिकार के आदेश के निष्पादन में कुर्की, जब्ती या बिक्री से मुक्त होंगी और इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से किसी भी न्यायालय के समक्ष लंबित कोई भी कार्यवाही या मुकदमा समाप्त हो जाएगा।
- (2) बेतिया राज की संपत्तियाँ या कार्यकाल, जिसके अंतर्गत मालिक के हित हैं, चाहे जो भी हो, ऐसी संपत्तियों या कार्यकाल में, जिसमें मुख्य रूप से ऐसी संपत्तियों या कार्यकाल के किराए के संग्रह के लिए कार्यालय के रूप में उपयोग किए जाने वाले परिसर शामिल हैं, और पेड़, जंगल, मत्स्य पालन, जलकर, हाट, बाजार, मेला और फेरी और अन्य सभी सैराती हितों में उनके हित, अवमृदा में उनके हित, खास कब्जे में रखी गई भूमि (रैयती या रैयतों के अधीन रहनेवाले के हितों को छोड़कर) और वासभूमि, निहित होने की तारीख से, पूरी तरह से राज्य में निहित हो जाएंगे और सभी ऋण भारग्रस्तता से मुक्त होंगे;
- (3) निहित होने की तारीख को या उसके बाद बेतिया राज की संपत्तियों या कार्यकाल में शामिल भूमि के संबंध में सभी सलामी, किराया, उपकर, रॉयल्टी और राजस्व राज्य को देय होंगे और अन्यथा किया गया कोई भी भुगतान राज्य पर बाध्यकारी नहीं होगा;
- (4) बेतिया राज की संपत्तियों या कार्यकाल के संबंध में कानूनी रूप से देय सभी बकाया या राजस्व और उपकर और बेतिया राज की संपत्तियों के पट्टेदार, अंतरिती, बसनेवाले, अधिभोगी से वसूली योग्य अन्य सभी राशि, निहित होने की तारीख से राज्य सरकार द्वारा वसूली योग्य होगी;
- (5) बेतिया राज की संपत्तियों के पट्टेदार, अंतरिती, बसनेवाले, अधिभोगी से एकत्र या वसूल की गई सभी राशि, राज्य सरकार द्वारा वसूली योग्य होगी;

- (6) बेतिया राज की संपत्तियों के ऐसे पट्टेदार, अंतरिती, बसनेवाले, अधिभोगी से देय किसी भी राशि की वसूली के लिए किसी भी सिविल कोर्ट में कोई मुकदमा नहीं होगा, जिसका भुगतान बेतिया राज की संपत्तियों या कार्यकाल के बंधक द्वारा सुरक्षित है या उस पर एक शुल्क है, और ऐसे किसी भी धन की वसूली के लिए सभी वाद और कार्यवाही, जो निहित होने की तारीख पर लंबित हो सकती है, समाप्त हो जाएगी;
- (7) बेतिया राज की संपत्तियों या कार्यकाल का कोई भी हिस्सा किसी भी न्यायालय की प्रक्रियाओं के तहत कुर्की या बिक्री का भागी नहीं होगा और ऐसी संपत्तियों या कार्यकाल के संबंध में पारित कुर्की का कोई भी आदेश निहित होने की तारीख से पहले लागू नहीं होगा;
- (8) समाहर्ता के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने बेतिया राज की संपत्तियों या कार्यकाल का कार्यभार ग्रहण कर लिया है, जिसके अन्तर्गत उसके सभी हितों के साथ किसी न्यास की कोई संस्था, धार्मिक या धर्म निरपेक्ष या भवन है;

परन्तु यह और कि समाहर्ता अधिभोगी को लिखित आदेश देने के बाद किसी भी संपत्ति का प्रत्यक्ष कब्जा ले सकता है, जिसमें उसे उपरोक्त आदेश में विनिर्दिष्ट समय के भीतर कब्जा देने या कारण दिखाने की आवश्यकता होती है। यदि ऐसा व्यक्ति कब्जा देने या कारण बताने में विफल रहता है या यदि समाहर्ता द्वारा कारण को अस्वीकार कर दिया जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के बाद, समाहर्ता, लिखित रूप में कारणों को दर्ज कर सम्बद्ध संपत्ति का कब्जा लेने के लिए ऐसे कदम उठाएगा या उठवाएगा या ऐसे बल का प्रयोग करेगा या करवाएगा जो आवश्यक समझा जाय।

6. विशेष पदाधिकारी।—

- (1) राज्य सरकार इस अधिनियम के उद्देश्यों को प्राप्त करने और इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों में इंगित विभिन्न कार्यों को करने में समाहर्ताकी सहायता करने के लिए बिहार के प्रत्येक जिले में विशेष पदाधिकारी नियुक्त कर सकेगी।
- (2) विशेष पदाधिकारी इस अधिनियम में उल्लिखित ऐसे कार्यों का निर्वहन करेगा और समाहर्ता के प्रत्यक्ष नियंत्रण और पर्यवेक्षण के तहत कार्य करेगा।

7. आपत्तियों आदि की सुनवाई।—

- (1) कोई भी व्यक्ति, धारा 3 के अधीन उक्त अधिसूचना के परिणामस्वरूप, 60 दिनों के भीतर विशेष पदाधिकारी के समक्ष आपत्ति दाखिल कर सकेगी।
- (2) विशेष पदाधिकारी आपत्ति की सुनवाई करेगा और इस तरह के दाखिल होने के 90 दिनों के भीतर इसका निपटान करेगा।
- (3) विशेष पदाधिकारी, ऐसी आपत्ति की सुनवाई करते समय, सभी संबंधितों को नोटिस जारी करेगा और आपत्ति को अस्वीकार करने या अनुमति देने के लिए एक तर्कपूर्ण आदेश पारित करेगा।
- (4) यदि विशेष पदाधिकारी द्वारा आपत्ति की अनुमति दी जाती है, तो आपत्ति के तहत संपत्तियों को ऐसी अधिसूचना से बाहर रखा गया माना जाएगा। यदि विशेष पदाधिकारी द्वारा आपत्ति को अस्वीकार कर दिया जाता है, तो संपत्तियां अधिसूचना का हिस्सा बनी रहेंगी।
- (5) विशेष पदाधिकारी द्वारा पारित प्रत्येक आदेश को इस अधिनियम में उल्लिखित आगे की कार्रवाई करने के लिए समाहर्ता के समक्ष रखा जाएगा। यदि विशेष पदाधिकारी द्वारा आपत्तियों को खारिज कर दिया जाता है, तो वह समाहर्ता से ऐसी संपत्ति पर कब्जा करने का अनुरोध करेगा।

अध्याय—III

बेतिया राज की संपत्तियों की पहचान।

8. बेतिया राज की संपत्तियों की पहचान।—

- (1) राज्य सरकार, किसी भी समय, स्वयं या किसी भी जानकारी की प्राप्ति पर या अन्यथा, न्यायालय से छिपी किसी अन्य बेतिया राज की अचल या चल संपत्तियों की पहचान करने के लिए कदम उठा सकेगी, और इस उद्देश्य के लिए ऐसे व्यापक सर्वेक्षण करने के लिए सक्षम होगी।
- (2) राज्य सरकार ऐसी प्रक्रियाएँ तैयार कर सकेगी जो बेतिया राज संपत्तियों की सही और उचित पहचान के लिए अपेक्षित हो।
- (3) राज्य सरकार, उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद, इस अधिनियम की धारा 3 के अधीन यथापेक्षित ऐसी पूरक अधिसूचना जारी करने के लिए सक्षम होगी।

अध्याय-IV
समाहर्ता की शक्तियाँ।

9. कब्जा करने की समाहर्ता की शक्ति।—निहित होने के परिणामस्वरूप समाहर्ता के पास बेतिया राज की ऐसी भूमि और संपत्तियों पर कब्जा करने की शक्ति होगी।

परन्तु, समाहर्ता अधिभोगियों की संपत्तियों को खाली करने और उनकी व्यक्तिगत वस्तुओं को हटाने के लिए 15 दिनों का नोटिस देगा।

10. अतिक्रमण को हटाने के लिए समाहर्ता की शक्ति।—

- (1) समाहर्ता के पास बिहार सार्वजनिक भूमि अतिक्रमण अधिनियम, 1956 के अनुसार अधिसूचना में उल्लिखित संपत्तियों पर किसी भी अतिक्रमण, चाहे स्थायी या अस्थायी संरचना हो, को हटाने की शक्ति होगी,
- (2) समाहर्ता के पास बेतिया राज की संपत्ति के किसी अधिभोगी को बेदखल करने और यदि वह चाहे तो परिसर को सीलबंद करने की शक्ति होगी।

11. समाहर्ता की अन्य शक्तियाँ।—इस अधिनियम के तहत राज्य सरकार में निहित बेतिया राज की संपत्तियों के संबंध में, समाहर्ता:—

- (i) ऐसे उपाय करने के लिए विशेष पदाधिकारी को ले सकेगा या अधिकृत कर सकेगा जो वह ऐसी संपत्तियों को संरक्षित करने के लिए आवश्यक या समीचीन समझे;
- (ii) समाहर्ता की सभी या किसी भी शक्ति का प्रयोग करने के लिए विशेष पदाधिकारी को अधिकृत कर सकेगा;
- (iii) उसे देय धन की वसूली के लिए ऐसी कार्रवाई कर सकेगा जिसमें सार्वजनिक मांग वसूली अधिनियम, 1914 के तहत इसे वसूली करने के लिए कदम शामिल हैं;
- (iv) बेतिया राज की संपत्तियों के रखरखाव और संरक्षण के लिए अपेक्षित ऐसी संविदा/करार कर सकेगा;
- (v) संपत्तियों में से कोई व्यय कर सकेगा जिसमें सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी को किसी कर, शुल्क उपकरणों और दरों का भुगतान और बेतिया राज के किसी कर्मचारी को या उसके संबंध में कोई मजदूरी, वेतन, पेंशन, भविष्य निधि अंशदान शामिल हैं;
- (vi) राज्य सरकार के निर्देशों के अधीन समग्र निधि (कॉर्पस फंड) का प्रबंधन कर सकेगा;
- (vii) बेतिया राज की निधियों में से ऐसे अन्य भुगतान कर सकेगा जो राज्य सरकार द्वारा निर्देशित किया जाय।
- (viii) बेतिया राज की संपत्तियों के संबंध में यथास्थिति किराया, मानक किराया, पट्टा किराया, अनुज्ञप्ति (लाईसेंस) फीस या उपयोगकर्ता प्रभार, तय कर सकेगा और एकत्र कर सकेगा;
- (ix) अनधिकृत या अवैध अधिभोगी या अतिचारी को बेदखल करके बेतिया राज की संपत्तियों का खाली कब्जा सुरक्षित कर सकेगा और अनधिकृत या अवैध निर्माण, यदि कोई हो, को हटा सकेगा;
- (x) निरीक्षण के प्रयोजनों के लिए किसी भी संपत्ति में प्रवेश कर सकेगा;
- (xi) किसी भी बेतिया राज की संपत्तियों को अपने से खाली करने के लिए रहने वाले को उचित अवसर देने के बाद सीलबन्द कर सकेगा;
- (xii) लिखित नोटिस द्वारा, किसी भी व्यक्ति से, जिसे वह मानता है कि वह किसी बेतिया राज की संपत्तियों से संबंधित जानकारी देने में सक्षम है, ऐसे समय और स्थान पर अपने समक्ष उपस्थित होने के लिए बुला सकेगा, जैसा कि नोटिस में विनिर्दिष्ट किया जाय और उसी से संबंधित किसी भी व्यक्ति की जांच कर सकेगा, लिखित रूप में उसके बयान को कम कर सकेगा और उसे उस पर हस्ताक्षर करना अपेक्षित होगा;
- (xiii) लिखित नोटिस द्वारा, किसी भी व्यक्ति से, जिसे वह मानता है, कि वह किसी भी बेतिया राज की संपत्तियों से संबंधित किसी भी प्रकृति की किसी भी खाता बही, पत्र बही, चालान, रसीद या अन्य दस्तावेज को अपने कब्जे या नियंत्रण में रखता है, ऐसे समय और स्थान पर जो नोटिस में विनिर्दिष्ट किया जाय, अपने समक्ष प्रस्तुत करने या प्रस्तुत करवाने के लिए अपेक्षा कर सकेगा और उसे उसकी जांच/परीक्षण में प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षा कर सकेगा और उसमें या उसके किसी भाग की प्रतियों को उसके द्वारा लेने की अनुमति दे सकेगा;
- (xiv) किसी भी विधि फर्म, विधि पदाधिकारियों, विधिक पेशेवरों या वकीलों को मामलों, मुकदमों, कार्यवाहियों की रक्षा करने, प्रतिनिधित्व करने और लड़ने के लिए ऐसे पारिश्रमिक पर किराए पर रख सकेगा, जो राज्य सरकार द्वारा नियत किया जाय;

- (xv) अमीन, सर्वेक्षक, फील्ड रिटेनर, लेखा पेशेवर, चार्टर्ड एकाउंटेंट और इस तरह के अन्य कौशल-आधारित जनशक्ति को किराए पर रख सकेगा जो इस अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक हो;
- (xvi) बेतिया राज की सभी चल और अचल संपत्तियों की तालिका (इन्वेंट्री) प्रबंधन और संरक्षण के प्रयोजनों के लिए अपने कार्यालय में एक परिसंपत्ति प्रबंधन इकाई स्थापित कर सकेगा।

12. न्यायाधीन मामलों में धन की वसूली करने की शक्ति।—समाहर्ता के लिए ऐसी संपत्तियों से भी धन एकत्र करना या वसूल करना वैध होगा जो विवाद के अधीन हैं या जो न्यायालय में न्यायाधीन हैं।

अध्याय—V

बेतिया राज की संपत्तियों का प्रबंधन और निपटान/निराकरण

13. बेतिया राज की संपत्तियों का प्रबंधन।—

- (1) राज्य सरकार ऐसे कदम उठाएगी जो इसमें निहित बेतिया राज की संपत्तियों के प्रबंधन और संरक्षण के लिए आवश्यक हो।
- (2) राज्य सरकार ऐसे नियम और प्रक्रियाएँ तैयार कर सकेगी जो बेतिया राज की संपत्तियोंके उचित प्रबंधन और संरक्षण के लिए आवश्यक हों।
- (3) राज्य सरकार, समाहर्ता को बेतिया राज की संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन के हित में और ऐसी अवधि के लिए, जो वह उचित समझे, अपनी सभी या कोई शक्ति दे सकेगी।
- (4) इस अधिनियम के प्रारंभ होने से पहले बेतिया राज के पट्टेदारों या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा न्यायालय या समाहर्ता को देय किसी भी धन का भुगतान समाहर्ता को किसी भी अधिनियम/नियमावली की समाप्ति की परवाह किए बिना किया जाएगा, जिसके तहत ऐसी धनराशि देय थी।
- (5) बेतिया राज की संपत्तियों से इस अधिनियम के प्रारंभ से पहले और बाद की सभी आय, लोक मांग वसूली अधिनियम, 1914 (1914 का अधिनियम 4) के तहत लोक माँगों के रूप में वसूली योग्य है।
- (6) समाहर्ता बेतिया राज की संपत्तियों से प्राप्त सभी आय को राज्य सरकार द्वारा निदेशित खाते में जमा करेगा। तथापि, राज्य सरकार, एक विशेष आदेश द्वारा, उसे प्राप्त आय का एक विशिष्ट प्रतिशत बनाए रखने की अनुमति दे सकेगी और बेतिया राज की संपत्तियों/संरचनाओं विशेष रूप से जिनका ऐतिहासिक या पुरातात्विक महत्व है, के प्रबंधन और संरक्षण के लिए इसे एक समग्र निधि में रखी जा सकेगी।

परन्तु समाहर्ता राज्य सरकार द्वारा बनायी गयी नियमावली के अनुसार समग्र निधि से सभी व्यय करेगा।

14. बेतिया राज की संपत्तियों का निपटान।—राज्य सरकार, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, यह निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम के तहत इसमें निहित किसी भी या सभी बेतिया राज की संपत्तियों को इस तरह से प्रबंधित, विक्रय, जब्त, लिया या निपटाया जाएगा जो विहित किया जाय।

अध्याय—VI

प्रकीर्ण

15. अपील और पुनरीक्षण।—

- (1) धारा-7 के अधीन विशेष पदाधिकारी द्वारा पारित सभी आदेश समाहर्ता के समक्ष आदेश की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपील योग्य होंगे। समाहर्ता ऐसी अपीलों का निपटान अगले 30 दिनों के भीतर करेगा।
- (2) समाहर्ता द्वारा पारित ऐसे सभी आदेश राजस्व बोर्ड के समक्ष आदेश की तारीख से 30 दिनों के भीतर किसी भी समय पुनरीक्षण के अधीन होंगे।
- (3) राजस्व बोर्ड ऐसे पुनरीक्षण आवेदन का निपटान इसके दाखिल होने के 60 दिनों के भीतर करेगा।

16. बोर्ड की शक्तियाँ।—

- (1) इस अधिनियम के उद्देश्यों को प्राप्त करने और बेतिया राज की संपत्तियों के उचित प्रबंधन/निगरानी के लिए, बोर्ड के भीतर एक समिति का गठन निम्नानुसार किया जाएगा:—
- | | | |
|-------|--|---------------|
| (i) | अध्यक्ष-सह-सदस्य, राजस्व बोर्ड | — अध्यक्ष; |
| (ii) | अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग | — सदस्य; |
| (iii) | अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, वित्त विभाग | — सदस्य; |
| (iv) | उन जिलों के समाहर्ता जहाँ बेतिया राज की संपत्तियाँ स्थित हैं | — सदस्य; |
| (v) | सचिव, राजस्व बोर्ड | — सदस्य-सचिव। |
- अध्यक्ष इस समिति में किसी अन्य व्यक्ति या पदाधिकारी को आमंत्रित करने के लिए सक्षम होगा। समिति की बैठक तीन महीने में कम से कम एक बार होगी।
- (2) उपरोक्त समिति के पास ये शक्तियाँ भी होंगी।—
- (क) इस अधिनियम के अधीन देय पट्टे या अनुज्ञप्ति प्रभार या कोई अन्य फीस/शुल्क/शास्ति या इस अधिनियम के लागू होने से पूर्व की बकाया राशि को कम या माफ करना;
- (ख) पट्टे के अधीन या अन्यथा सभी प्रकार की प्राप्तियों को उद्गृहीत करना, बढ़ाना, कम करना, नियत करना;
- (ग) उत्तर प्रदेश में स्थित बेतिया राज की संपत्तियों के संबंध में उत्तर प्रदेश राज्य के राजस्व बोर्ड के साथ संपर्क स्थापित करना।
- (3) समिति ऐसी अन्य शक्तियों और जिम्मेदारियों का प्रयोग करेगी जो उसे राज्य सरकार द्वारा सौंपी गई है।

17. नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति।—राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए, ऐसे नियम बना सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों।

18. पदाधिकारियों का लोक सेवक होना।—इस अधिनियम के अधीन किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करने या किन्हीं कृत्यों का पालन करने के लिए सशक्त सभी पदाधिकारी और व्यक्ति भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का अधिनियम 45) की धारा 2 की उपधारा 28 के अर्थ में लोक सेवक समझे जाएँगे।

19. वादों आदि का वर्जन।—इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए राज्य सरकार, न्यायालय या समाहर्ता या राज्य सरकार या समाहर्ता की ओर से कार्य करने वाले किसी अन्य पदाधिकारी के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी।

20. अधिकारिता का वर्जन।—इस अधिनियम के अधीन किसी भी न्यायालय को राज्य सरकार से उसमें निहित बेतिया राज की संपत्तियों को विनिवेश करने का आदेश देने की अधिकारिता नहीं होगी।

21. आदेश का अंतिम होना।—इस अधिनियम के अधीन अभिव्यक्त रूप से जैसा अन्यथा उपबंधित है, के सिवाय इस अधिनियम के तहत राज्य सरकार, बोर्ड, न्यायालय या समाहर्ता, इस अधिनियम के तहत विशेष पदाधिकारी द्वारा दिया गया प्रत्येक आदेश अंतिम होगा और किसी भी मूल वाद, आवेदन या कार्यवाही निष्पादन में प्रश्न नहीं उठाया जाएगा और इस अधिनियम के द्वारा या इसके अधीन प्रदत्त किसी भी शक्ति के अनुसरण में की गई या की जाने वाली किसी भी कार्रवाई के संबंध में किसी भी न्यायालय द्वारा कोई व्यादेश नहीं दिया जाएगा।

22. अधिनियम का अभिभावी प्रभाव होना।—

- (1) इस अधिनियम के उपबंध, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी, प्रभावी होंगे।
- (2) बेतिया राज की संपत्तियों का सभी प्रकार से संरक्षण और प्रबंधन केवल इस अधिनियम के उपबंधों द्वारा शासित होगा और भू-राजस्व या किराया नियंत्रण मामलों से संबंधित किसी अन्य राज्य अधिनियम द्वारा शासित नहीं होगा।

23. राज्य सरकार को निदेश जारी करने की शक्तियाँ।—इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, जनहित में, अधिनियम के उपबंधों को लागू करने के लिए राजस्व बोर्ड, न्यायालय या समाहर्ता या उसके अधीनस्थ पदाधिकारियों को कोई निदेश जारी कर सकेगी।

24. व्यावृत्ति।—

- (1) प्रतिपाल्य अधिकरण अधिनियम, 1879 (1879 का बंगाल अधिनियम 9) या बिहार एवं उड़ीसा राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1913 (1913 का बिहार और उड़ीसा अधिनियम 1) या राज्य सरकार द्वारा या बोर्ड द्वारा या न्यायालय द्वारा या समाहर्ता द्वारा बेतिया राज की संपत्तियों से संबंधित दिया गया प्रत्येक आदेश, अधिसूचना, नियम, विनियम या प्रक्रिया और जो उसके समाप्त होने से तुरंत पहले लागू थी, जहाँ तक ऐसा आदेश इस अधिनियम के प्रावधानों से असंगत नहीं हो, इस अधिनियम के अधीन लगातार प्रवृत्त और किया गया माना जाएगा।
- (2) किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में किसी बात के होते हुए भी, सिविल न्यायालय की डिक्री के या किसी अधिकरण या अन्य प्राधिकारी के

आदेशों के निष्पादन में कुर्की, अभिग्रहण या विक्रय के किसी आदेश के आधार पर राज्य सरकार में निहित बेतिया राज की किसी संपत्तियों का कोई अंतरण, अकृत और शून्य समझा जाएगा और ऐसे अंतरण के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार में निहित रहेगा।

25. कठिनाई को दूर करने की शक्ति।—

- (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो राज्य सरकार, कठिनाई को दूर करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे प्रावधान कर सकेगी जो वह आवश्यक या समीचीन समझे।
- (2) इस धारा के अधीन निर्गत प्रत्येक अधिसूचना, निर्गत किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधान-मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी।

उमेश कुमार शर्मा,
सरकार के संयुक्त सचिव।

11 दिसम्बर 2024

सं० एल०जी०-01-22/2024-7938/लेज—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और माननीय राज्यपाल द्वारा दिनांक 10 दिसम्बर 2024 को अनुमत बेतिया राज की संपत्तियों को निहित करने वाला अधिनियम, 2024 (बिहार अधिनियम संख्या-23, 2024) का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उमेश कुमार शर्मा,
सरकार के संयुक्त सचिव।

[Bihar Act 23, 2024]
THE VESTING OF BETTIAH RAJ PROPERTIES ACT, 2024
AN
ACT

Whereas, erstwhile Bettiah Raj is situated in the State of Bihar,

Whereas, the Last known Raja, Harendra Kishore Singh died inte-estate,

Whereas, after death of the last Raja of erstwhile of Bettiah Raj, his surviving wife Janki Kunwar was declared incompetent to manage the property and affairs of Bettiah Raj,

Whereas, the erstwhile Government vide notification dated 1st April, 1897 took over management of Bettiah Raj and placed in the custody of courts under Court of Wards Act, 1879,

Whereas, after notification dated 01st April, 1897, the entire properties and management of Bettiah Raj within State of Bihar was taken over by the Court of Wards, Board of Revenue of the State of Bihar,

Whereas, properties of Bettiah Raj situated in State of Uttar Pradesh were directed to be managed by Board of Revenue of State of Uttar Pradesh,

Whereas, UP Court of Wards Act, 1912 has been repealed by the United Provinces Court of Wards (Repeal) Act, 1967 with effect from 15th September, 1969,

Whereas, as a consequence of repeal, the functions of Court of Wards including management etc. has been vested in Board of Revenue in the State of Uttar Pradesh.

Whereas, there is no known legal heir of last Raja of Bettiah Raj,

Whereas, several claimants have laid their claim which was ultimately decided by Hon'ble Supreme Court in the case of State of Bihar & others vs. Radha Krishna Singh & others.

Whereas, after final adjudication by Hon'ble Supreme Court several suits have been filed both in State of Bihar and in State of Uttar Pradesh in some of which claim has been laid with regard to inheritance,

Whereas, the property of Bettiah Raj situated within State of Bihar and State of UP in course of time has been subjected to numerous litigations, encroachment, unauthorized occupation etc,

Whereas, the property, movable and immovable of Bettiah Raj is very extensive and valued at several thousand crores of rupees,

Whereas, it has been observed that the manager of Bettiah Raj has not been able to effectively protect the property,

Whereas the property largely comprises of land and appurtenances which can be utilized for larger public interest of the State,

Whereas, it is considered expedient to enact a law to take over custody, title, possession and management of Bettiah Raj properties both movable and immovable situated within State of Bihar and in the State of UP and any other State subject to verification,

Now, therefore, the legislature of the State of Bihar in the 75th Year of Republic of India enacts as follows:-

Chapter-I **Preliminary.**

1. Short Title and Commencement:-

(1) This Act may be called the **Vesting of Bettiah Raj Properties Act, 2024.**

(2) ***It covers all the properties of the Bettiah Raj.***

(3) It shall come into force on the day of its publication in the Official Gazette.

2. Definitions:-In this Act, unless the context otherwise requires,—

(1) “**The Act**” means the Vesting of Bettiah Raj Properties Act (Act 23 of 2024)

(2) “**Bettiah Raj Properties**” means and includes all movable and immovable properties of the erstwhile Raja of Bettiah.

(3) “**Board of Revenue**” means the Board as constituted by the Bihar and Orissa Board of Revenue Act, 1913;

(4) “**Collector**” includes an Officer appointed as such by the State Government to discharge all or any of the function under the Act;

(5) “**Court**” means the Court of Wards as constituted under section 5 of Court of Wards Act 1879;

(6) “**Notification**” means a notification issued under Section 3 of the Act;

(7) “**Prescribed**” means prescribed by rules made under this Act;

(8) “**Public Demand**” means public demand as defined under Bihar & Orissa Public Demands Recovery Act, 1914 (Act 4 of 1914)

(9) “**Premises**” means real Properties, land and the improvements on it, a building, store, shop, hotel, restaurant or such other structure for the purpose of this Act.

(10) “**Special Officer**” means an Officer not below the rank of Additional Collector appointed as such by the State Government.

(11) “**State Government**” means the State Government of Bihar.

(12) “**Temporary Structure**” means any structure which do not require foundation to be erected and are easy to dismantle, very easy to change the configuration of the structure and which cannot be sealed of completely for the purpose of this Act.

(13) “**Unauthorized Occupant**” means any person in possession of the Properties without any lawful instrument of lease or agreement with the Custodian of Bettiah Raj Properties.

- (14) “*Vesting*” means vesting of title and possession. It includes all commensurate rights and interests flowing there from and includes right of easement, passage etc.

Chapter-II
Vesting of Bettiah Raj Properties.

3. *Vesting.*—

- (1) All the existing properties, to the knowledge of the Court and being looked after by the Court, of the Bettiah Raj, *located in or outside the State of Bihar*, whether movable or immovable, shall stand vested with the State Government from the date on which this Act comes into force.
- (2) The State Government, consequent upon vesting, shall issue a notification, to be published in the Official Gazette, to this effect,
Provided that, the State Government shall give details of all such lands and properties, so vested, in the Notification.
- (3) The Properties once vested with the State Government cannot be subject to any succession under any Law and all ongoing disputes, suits or proceedings relating to succession pending before any Court of law on the date of commencement of this Act shall stand abated.
- (4) The Court of Wards, consequent upon vesting, shall hand over all the papers, documents, records, maps and all relevant information to the concerned Collector of the districts where the properties of Bettiah Raj are located.

4. *Of Leases etc.*— All existing leases or the existing privileges upon the lands and properties of the Bettiah Raj Properties shall stand extinguished from the date of such notification.

5. *Consequences of vesting in the State.*—

- (1) All Bettiah Raj properties vested in the State under this Act shall be free from all encumbrances and shall be exempt from attachment, seizure or sale in execution of decree of a Civil Court or orders of any other authority and any proceeding or suit pending before any Court of law on the date of commencement of this Act shall stand abated.
- (2) Bettiah Raj Properties or tenure, including the interests of the proprietor, whatsoever, in such properties or tenure including premises used primarily as office for the collection of rent of such Properties or tenure, and his interests in trees, forests, fisheries, jalkars, hats, bazars, melas, and ferries and all other sairati interests, as also his interests in sub-soil, lands held in khas possession (excluding the interests of raiyats or under-raiyats) and homestead shall, with effect from the date of vesting, vest absolutely in the State, free from all encumbrances;
- (3) All salami, rents, cess, royalties and revenues in respect of lands comprised in Bettiah Properties or tenure on or after the date of vesting shall be payable to the State and any payment made otherwise shall not be binding on the State;
- (4) All arrears or revenue and cesses remaining lawfully due in respect of the Bettiah Properties or tenure on the date of vesting and all other amounts recoverable from the lessees, transferees, settlees, occupants of the Bettiah Properties, shall be recoverable by the State Government;

- (5) All amounts collected or recovered from the lessees, transferees, settlees, occupants of the Bettiah Properties, shall be recoverable by the State Government;
- (6) No suit shall lie in any Civil Court for the recovery of any amount due from such lessees, transferees, settlees, occupants of the Bettiah Raj Properties, the payment of which is secured by a mortgage of or is a charge on the Bettiah Raj Properties or tenure, and all suits and proceedings for the recovery of any such money, which may be pending on the date of vesting, shall stand abated;
- (7) No portion of the Bettiah Raj Properties or tenure shall be liable to attachment or sale under processes of any Court and any order of attachment passed in respect of such Properties or tenure before the date of vesting shall cease to be in force;
- (8) The Collector shall be deemed to have taken charge of Bettiah Raj Properties or tenure, including any institution, religious or secular, of any trust or building, along with all its interests;

Provided further that the Collector may take direct possession of any property after serving an order in writing to the occupant requiring him to deliver possession or show cause within a time specified in the aforesaid order. If such person fails to deliver possession or show cause or if the cause is rejected by the Collector, after giving to such person an opportunity of being heard, the Collector, for reasons to be recorded in writing, take or cause to be taken, such steps, or use or cause to be used such force as deemed necessary, for taking delivery of possession of the property concerned.

6. Special Officer.-

- (1) The State Government may appoint Special Officer in each District of Bihar to assist the Collector in achieving the objectives of this Act and performing various functions indicated in this Act and the Rules made thereunder.
- (2) The Special Officer shall discharge such functions as mentioned in this Act and shall function under direct control and supervision of the Collector.

7. Hearing of Objections etc.-

- (1) Any person, consequent upon said Notification under Section 3, may file an objection before the Special Officer within 60 days.
- (2) The Special Officer shall hear the objection and dispose it off within 90 days of such filing.
- (3) The Special Officer, while hearing such an objection, shall issue notices to all concerned and pass a reasoned order, either rejecting or allowing the objection.
- (4) If the objection is allowed by the Special Officer, the Properties under objection shall be deemed to have been excluded from such Notification. If the objection is rejected by the Special Officer, the properties shall continue to remain part of the notification.
- (5) Every order passed by the Special Officer shall be placed before the Collector for taking further action as mentioned in this Act. In case, the objections are rejected by the Special Officer, he shall make a request to the Collector to take possession of such property.

Chapter-III

Identification of Bettiah Raj Properties.

8. *Identification of Bettiah Raj Properties.-*

- (1) The State Government may, at any time, on its own or on receipt of any information or otherwise, initiate steps to identify any other Bettiah Raj properties lying hidden from the Court, immovable or moveable, and shall be competent to undertake such extensive survey for that purpose.
- (2) The State Government may devise such procedures as are required for correct and proper identification of the Bettiah Raj properties.
- (3) The State Government, after having followed due procedure, shall be competent to issue such supplementary Notification(s) as required under Section 3 of this Act.

Chapter IV

Powers of the Collector.

9. *Power of the Collector to take possession.*—Consequent upon vesting, the Collector shall have powers to take possession of such lands and properties of the Bettiah Raj.

Provided, however, that the Collector shall give a notice of 15 days to the occupants to vacate the Properties and remove their personal items.

10. *Power of the Collector to remove encroachments.*—

- (1) The Collector shall have powers to remove any encroachment, whether permanent or temporary structures, over the properties mentioned in the Notifications as per the Bihar Public Land Encroachments Act, 1956;
- (2) The Collector shall have power to evict any occupant of a Bettiah Raj Property and seal the premises if he so desires.

11. *Other powers of the Collector.*—With respect to the Bettiah Raj Properties vested in the State Government under this Act, the Collector may:-

- (i) Take or authorize the Special Officer for taking of such measures as he considers necessary or expedient for preserving such Properties;
- (ii) Authorize the Special Officer to exercise all or any of the powers of the Collector;
- (iii) Take such actions to recover the money payable to him including steps to recover the same under the Public Demands Recovery Act, 1914;
- (iv) Enter into such contracts/agreements as are required for maintenance and preservation of the Bettiah Raj Properties;
- (v) Incur out of the Properties, any expenditure including the payment of any taxes, duties, cesses and rates to Government or to any local authority and of any wages, salaries, pensions, provident fund contributions to, or in respect of, any employee of the Bettiah Raj;
- (vi) Manage the Corpus Fund subject to the directions of the State Government;
- (vii) Make such other payments out of the funds of the Bettiah Raj as may be directed by the State Government;
- (viii) Fix and collect the rent, standard rent, lease rent, license fee or user charges, as the case may be, in respect of Bettiah Raj Properties;

- (ix) Secure vacant possession of the Bettiah Raj Properties by evicting the unauthorized or illegal occupant or trespasser and remove unauthorized or illegal constructions, if any;
- (x) Enter into any Properties for the purposes of inspection;
- (xi) Seal any Bettiah Raj Properties after giving reasonable opportunity to the occupant to vacate on his own;
- (xii) By notice in writing, require any person whom he believes to be capable of giving information concerning any Bettiah Raj Properties to attend before him at such time and place as may be specified in the notice and examine any such person concerning the same, reduce his statement to writing and require him to sign it;
- (xiii) By notice in writing, require any person whom he believes to have in his possession or control any account book, letter book, invoice, receipt or other document of whatever nature relating to any Bettiah Raj Properties, to produce the same or cause the same to be produced before him at such time and place as may be specified in the notice and to submit the same to his examination and to allow copies of any entry therein or any part thereof to be taken by him;
- (xiv) Hire any law firm, law officers, legal professionals or lawyers to defend, represent and fight cases, suits, proceedings at such a remuneration as may be fixed by the State Government;
- (xv) Hire amins, surveyors, field retainers, accounting professionals, chartered accountants and such other skill-based manpower as are essential to fulfill the objectives of this Act;
- (xvi) Establish an Asset Management Unit in his office for the purposes of inventory management & preservation of all moveable and immovable Bettiah Raj Properties.

12. Power to recover money in matters sub-judice.-It shall be lawful for the Collector to collect or recover money from such properties also as are under dispute or are sub-judice in a court of law.

Chapter-V

Management & Disposal of Bettiah Raj Properties.

13. Management of Bettiah Raj Properties.-

- (1) The State Government shall take such steps as are essential for management and preservation of the Bettiah Raj Properties vested in it.
- (2) The State Government may devise such rules and procedures as are required for proper management and preservation of the Bettiah Raj properties.
- (3) The State Government may, give all or any of its powers to the Collector in the interest of better management of the Bettiah Raj properties and for such period as it deems fit.
- (4) Any money payable by the lessees of Bettiah Raj or any other person to the Court or the Collector before the commencement of this Act shall be paid to the Collector regardless of the expiry of any Act/Rules under which such monies were payable.
- (5) All income, before and after the commencement of this Act, from the Bettiah Raj properties is recoverable as public demands under the Public Demands Recoveries Act, 1914 (Act 4 of 1914).

- (6) The Collector shall deposit all the income received from the Bettiah Raj properties into such account as directed by the State Government. However, the State Government may, by a special order, allow him to retain a specific percentage of the Income received and be kept in a Corpus Fund for management and preservation of the Bettiah Raj properties/structures, particularly those having historical or archeological importance.

Provided that the Collector shall incur all expenditure from the Corpus Fund as per the Rules made by the State Government.

14. Disposal of Bettiah Raj Properties.—The State Government may, by general or special order, direct that any or all of the Bettiah Raj properties vested in it under this Act shall be managed, sold, confiscated, taken over or disposed off in such manner as may be prescribed.

Chapter-VI **Miscellaneous.**

15. Appeals and Revision.—

- (1) All orders passed by the Special Officer under Section-7 shall be appealable before the Collector within 30 days from the date of order. The Collector shall dispose of such appeals within next 30 days.
- (2) All such orders passed by the Collector shall be subject to revision before the Board of Revenue at any time within 30 days from the date of the order.
- (3) The Board of Revenue shall dispose off such revision application within 60 days of such filing.

16. Powers of the Board.—

- (1) With a view to achieve the objectives of this Act and for proper management/monitoring of Bettiah Raj Properties, a Committee within the Board shall be constituted as under:-
 - (i) Chairman-Cum-Member, Board of Revenue - **Chairman**
 - (ii) Additional Chief Secretary/Principal Secretary, Department of Revenue and Land Reforms - **Member**
 - (iii) Additional Chief Secretary/Principal Secretary, Department of Finance - **Member**
 - (iv) Collectors of the Districts where Bettiah Raj Properties are located - **Member**
 - (v) Secretary, Board of Revenue - **Member-Secretary**

The Chairman shall be competent to invite any other person or officer to this Committee. The Committee shall meet at least once in three months.

- (2) The above Committees shall also have the powers.—
 - a) To reduce or waive the lease or license charges or any other fee/duty/penalty payable under this Act or dues outstanding before the coming of force of this Act;
 - b) To levy, enhance, reduce, fix all types of receivables under the lease or otherwise;
 - c) To liaise with the Board of Revenue of the State of UP with respect to properties of Bettiah Raj located in UP.

(3) The Committee shall exercise such other powers and responsibilities as are entrusted to it by the State Government.

17. Power of the State Government to make rules.—The State Government may, by notification, in the Official Gazette, make rules, not inconsistent with the provisions of this Act, to carry out the purposes of this Act.

18. Officers to be Public Servants.—All officers and persons empowered to exercise any powers or to perform any functions under this Act shall be deemed to be public servants within the meaning of sub-section 28 of section-2 of the Bhartiya Nyaya Sanhita, 2023 (Act 45 of 2023).

19. Barring of Suits etc.—No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie, against the State Government, the Court or the Collector or any other officer acting on behalf of the Collector or the State Government, for anything which is done in good faith or intended to be done under this Act.

20. Bar to Jurisdiction.—No court shall have jurisdiction to order divestment from the State Government of Bettiah Raj Properties vested in it under this Act.

21. Orders to be Final.—Save as otherwise expressly provided under this Act, every order made by the State Government, the Board, the Court or the Collector, the Special Officer under this Act shall be final and shall not be called in question in any original suit, application or execution proceeding and no injunction shall be granted by any court in respect of any action taken or to be taken in pursuance of any power conferred by or under this Act.

22. Act to have overriding effect.—

- (1) The provisions of this Act shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other law for the time being in force.
- (2) The preservation and management of Bettiah Raj Properties in all respect shall be governed only by the provisions of this Act and by no other State Act relating to land revenue or rent control matters.

23. Powers of the State Government to issue directions.—Notwithstanding anything contained in the Act, the State Government may, in public interest, issue any direction to the Board of Revenue, the Court or the Collector or his subordinate officers in order to enforce the provisions of the Act.

24. Saving.—

- (1) Every order, notification, rule, regulation or procedure which was made under the Court of Wards Act, 1879 (Bengal Act 9 of 1879) or Bihar & Orissa Board of Revenue Act, 1913 (Bihar & Orissa Act 1 of 1913) or by the State Government or by the Board or by the Court or by the Collector, relating to Bettiah Raj Properties and which was in force immediately before the expiration thereof shall, in so far as such order is not inconsistent with the provisions of this Act, be deemed to continue in force and to have been made under this Act.
- (2) Notwithstanding anything contained in any judgement, decree or order of any court, tribunal or other authority, any transfer of any Bettiah Raj Properties, vested in the State Government by virtue of any order of attachment, seizure or sale in execution of decree of a civil court or orders of any tribunal or other authority, shall be deemed to be null and void and notwithstanding such transfer, continue to vest in the State Government under this Act.

25. Power to remove difficulty.-

- (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act the State Government may, by notification in the Official Gazette, make such provisions as it deems necessary or expedient for removing the difficulty.
- (2) Every notification issued under this section shall, as soon as may be after it is issued, be laid before each House of State Legislature.

UMESH KUMAR SHARMA,
Joint Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1189-571+400-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>